

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती

कार्यालय आदेश

संख्या 01 / डी0एल0एस0ए0-श्रावस्ती

दिनांक- 02.01.2026

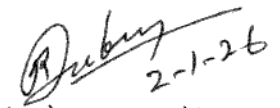
अंतिम तिथि- 20.01.2026

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या 1228/एस.एल.एस.ए.-5/2002 (पीएस) दिनांकित 11.04.2023 के अनुक्रम में स्थायी लोक अदालत श्रावस्ती के संचालन हेतु संविदा के आधार पर एक पद पेशकार एक पद आशुलिपिक तथा एक पद चपरासी की नियुक्ति की जानी है। इस हेतु पदों की संख्या, मानदेय, अवधि (अधिकतम) तथा आवश्यक योग्यतायें निम्नवत हैं:-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	मानदेय	अवधि (अधिकतम वर्षों में)	आवश्यक योग्यता
1.	पेशकार	01	9000 / -रु0 प्रतिमाह	02	जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट से सेवानिवृत्तिकर्मी जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो को अनुबंधित कर कार्य कराया जायेगा।
2.	आशुलिपिक	01	9000 / -रु0 प्रतिमाह	02	जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट से सेवानिवृत्तिकर्मी जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो को अनुबंधित कर कार्य कराया जायेगा।
3..	चपरासी	01	7000 / -रु0 प्रतिमाह	02	जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट से सेवानिवृत्तिकर्मी जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो को अनुबंधित कर कार्य कराया जायेगा।

ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कर्मचारी हों तथा 65 वर्ष से कम आयु के हों, से दिनांक 20.01.2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी तिथि निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती के कार्यालय में सायंकाल 04 बजे तक जमा कर दें। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त तथा अपूर्ण विवरण के साथ प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थीगण अपने आवेदनपत्र के साथ अपनी प्रमाणित फोटो, आधार कार्ड की प्रमाणित फोटोप्रति, राजकीय सेवा से अवकाश ग्रहण करने की तिथि तथा उन्होंने किस पद और किस कार्यालय से अवकाश ग्रहण किया है, यह भी उल्लिखित करेंगे। यह स्पष्ट उल्लिखित किया जावे कि आवेदनपत्र किस पद हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदनपत्र में आवेदक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई0 डी0 भी आवश्यक रूप से अंकित करें।

इस कार्यालय आदेश की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, श्रावस्ती को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाये जाने हेतु भेजी जावे तथा दीवानी न्यायालय, कलेक्ट्रेट व समस्त तहसील के सूचनापटों एवं जनपद न्यायालय श्रावस्ती के वेब साईट पर अपलोड किया जावे जिससे जन-सामान्य देख सकें।


2-1-26
(राकेश धर दूबे)

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
जनपद श्रावस्ती
D.L.S.A./Shravasti